झारखण्ड चलचित्र प्रोत्साहन नीति, 2017

1. **प्राक्कथन :**

1.1 दूरदर्शन तथा केबल नेटवर्क के विस्तार से सिनेमा गृह में आने वाले दर्शकों की संख्या में अप्रत्याशित रूप में कमी आई है। लोग सिनेमा घरों में नहीं जाकर अपने घरों में ही सिनेमा देखने का आनन्द उठाना पसन्द करते हैं।

1.2 विगत कुछ वर्षों से सिनेमा गृहों की एक विशेष श्रेणी, जिसे **"बहुविध छविगृह परिसर"** (Multiplex Cinema Complex-MPCC) कहा जाता है, का विकास सम्पूर्ण देश में तेजी से हुआ है। हाल के वर्षों में झारखण्ड राज्य में भी कई बहुविध छविगृहों का निर्माण हुआ है। बहुविध छविगृह परिसर सम्पूर्ण परिवार को एक छत के नीचे मनोरंजन उपलब्ध कराता है। इस तरह के निर्माण से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार की नई संभावनाएं सृजित हुई हैं।

1.3 झारखण्ड सरकार की अधिसूचित **झारखण्ड औद्योगिक नीति, 2012** की कंडिका 32.12.1 के उप कंडिका (B) में नगर निकायों को बहुविध छविगृह निर्माण में शत्–प्रतिशत् मनोरंजन कर में छूट देने का वर्णन किया गया है।

1.4 राज्य में सामान्य नागरिकों को स्वस्थ मनोरंजन उपलब्ध कराने हेतु सिनेमा गृहों के उत्थान, नये सिनेमा गृहों का निर्माण एवं बहुविध छविगृह परिसरों के विकास हेतु राज्य सरकार कृत–संकल्प है। इस तरह के मनोरंजन साधनों के विकास से सेवा क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के लिए नए अवसर भी सृजित होंगे।

1.5 उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पूर्व में नगर विकास विभाग के द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प संख्या–35, दिनांक 06.01.2006 के द्वारा झारखण्ड चलचित्र प्रोत्साहन नीति, 2005 लागू की गयी थी, जिसकी अवधि दिनांक 06.01.2011 को समाप्त हो चुकी है। इसलिए राज्य में नई चलचित्र प्रोत्साहन नीति, 2017 लागू करने की आवश्यकता है।

1.6 अतः राज्य सरकार ने सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि दो या दो अधिक पर्दों वाले सिनेमा घरों के निर्माण/जीर्णोद्धार/उन्नयन तथा बहुविध छविगृह परिसरों के विकास हेतु नई सिनेमा प्रोत्साहन नीति लागू करते हुए मनोरंजन कर में छूट देकर सिनेमा व्यवसाय को प्रोत्साहित किया जाए।

2. **शीर्षक :**

2.1 इस नई नीति को **"झारखण्ड चलचित्र प्रोत्साहन नीति, 2017" (Jharkhand Cinema Promotion Policy, 2017)** के रूप में जाना जाएगा।

3. **कार्यक्षेत्र :**

3.1 इस नीति का विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

4. **अवधि :**

4.1 यह नीति संकल्प जारी होने की तिथि से अगली नीति लागू होने तक मान्य होगी। ऐसे सभी छविगृह अथवा बहुविध छविगृह परिसर, जिनका जीर्णोद्धार, उन्नयन अथवा निर्माण इस अवधि के भीतर किया जाएगा, इस नीति का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

5. **परिभाषा :**

5.1 पुराने छविगृहों का जीर्णोद्धार (Renovation of old Cinema Hall) :

जीर्णोद्धार का तात्पर्य ऐसे छविगृह से है, जो पूर्व में निर्मित हुए हैं तथा जिनकी वृहद असैनिक (Civil) मरम्मती करवाकर नया रूप दिया गया है एवं ऐसे सिनेमा गृहों के संचालन हेतु नई तकनीकी स्थापित की गयी है, नई साज–सज्जा लगाई गयी है, कुर्सियों को बदलकर आरामदेह किया गया है तथा अद्यतन साउण्ड सिस्टम के तहत संचालन किया गया है।

5.2 पुराने छविगृहों का उन्नयन (Upgradation of old cinema hall) :

उन्नयन से तात्पर्य है, वर्त्तमान छविगृहों में उच्च तकनीक के संचालन उपकरणों को लगाया जाना नई तकनीक के साउण्ड उपकरण लगाना तथा कुर्सियों की पट्टी, आदि बदलकर उन्हें आरामदेह किया जाना।

5.3 बंद छविगृहों को पुनः चालू करना :

राज्य के ऐसे एकल पर्दा वाले सिनेमा गृह, जो इस संकल्प के जारी होने के एक वर्ष या उससे अधिक समय से बन्द हो, को चालू किया गया हो।

5.4 नये छविगृहों का निर्माण :

नव भूमि का क्रय/अधिग्रहण कर अथवा पुराने छविगृह के स्थान पर स्थापित छविगृह को तोड़कर नये सिरे से छविगृह का निर्माण किया गया हो, जिसकी आसन क्षमता कम से कम 150 सीटों की हो।

5.5 बहुविध छविगृह परिसर (Multiplex Cinema Complex) :

बहुविध छविगृह परिसर से तात्पर्य ऐसे नये भवन अथवा पुराने छविगृह से है, जिनपर निम्नांकित प्रावधान लागू होते हों :

5.5.1 राज्य के विभिन्न स्थानीय शहरी निकायों की श्रेणी के अनुसार निम्न वर्णित छविगृह एवं यथा वर्णित न्यूनतम आसन क्षमता निम्नांकित रूप से हो :–

क्र०सं०	स्थानीय शहरी निकाय (श्रेणी)	बहुविध छविगृह परिसर में न्यूनतम छविगृह संख्या	न्यूनतम कुल आसन क्षमता
1	नगर निगम	03	750
2	नगर परिषद्	02	400
3	नगर पंचायत	02	300

5.5.2 बहुविध छविगृह परिसर के अन्तर्गत निर्मित छविगृहों में निम्नांकित सुविधा होना आवश्यक है:–

क्र०सं०	स्थानीय शहरी निकाय (श्रेणी)	वातानुकूलन स्तर
1	नगर निगम	वातानुकूलित
2	नगर परिषद्	वातानुकूलित/वातशीत
3	नगर पंचायत	वातानुकूलित/वातशीत

5.5.3 प्रत्येक छविगृह में अद्यतन तकनीकयुक्त साउण्ड सिस्टम, प्रकाश व्यवस्था, आरामदेह कुर्सियाँ तथा कतारबद्ध सीटों के बीच की दूरी पैरों का आरामदेह स्थिति में रखने हेतु होनी चाहिए।

5.6 **प्रवेश क्षेत्र :**

5.6.1 प्रदर्शी क्षेत्र (Display Area) न्यूनतम 200 वर्ग फुट का होना चाहिए, जिसमें प्रदर्शी बोर्ड, प्रकाश व्यवस्था, वेश–भूषा, हैण्डी क्राफ्ट आदि स्थानीय वस्तुओं का प्रदर्शन किया जा सकता है;

5.6.2 पारिवारिक मनोरंजन केन्द्र इलेक्ट्रॉनिक गेम अथवा स्लॉट उपकरण (Slot Machinery) अन्य मनोरंजक खेल जो जुआ नहीं हो, विडियोप्ले रूम (Video Playroom) साइबर कैफे (Cyber Cafe), इत्यादि का प्रावधान हो;

5.7 **अन्यान्य सुविधाएँ :**

5.7.1 उपरोक्त में से एक या उससे ज्यादा मनोरंजन सुविधा रखी जा सकती है। प्रदर्शी क्षेत्र अथवा बाह्य कक्ष, आदि इस तरीके से बनाये जाएंगे, जो प्रवेश क्षेत्र के हिस्से के रूप में लगे;

5.7.2 सभी छविगृहों का परिसर धूम्रपान एवं मद्यपान से वर्जित होगा;

5.7.3 राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निदेशित अन्य सुविधाएँ संधारित करनी होंगी;

5.7.4 बहुविध छविगृह परिसर में कम से कम एक भोजन/फास्टफूड स्टॉल एवं आधुनिक फूड कोर्ट रैस्तरां होना चाहिए;

5.7.5 राज्य में विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों एवं अन्य क्षेत्रों में नव–निर्मित छविगृह/बहुविध छविगृह परिसर के निर्माण के क्रम में झारखण्ड भवन उपविधि, 2016 के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत भवन का निर्माण तथा वाहन वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए।

5.7.6 अन्य न्यूनतम सुविधाएँ (Optional facilities) निम्न में से कम से कम एक सुविधा अवश्य होनी चाहिए :–

5.7.6.1 वाणिज्य परिसर (Commercial Complex),

5.7.6.2 स्वास्थ्य केन्द्र/स्वास्थ्य क्लब (Health Centre/Health Club),

5.7.6.3 वीडियो गेम (Video Game)/Children's Play Home,

5.8 शहरी क्षेत्र से तात्पर्य है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित नगर निगम, नगर परिषद्, नगर पंचायत, नगरपालिका एवं अधिसूचित क्षेत्र समिति।

6. **अनुमान्य प्रोत्साहन :**

6.1 **जीर्णोद्धारित छविगृह (Renovated Cinema Hall) :**

राज्य में स्थित ऐसे छवि गृह के मालिक, जो अपने छविगृह का सम्पूर्ण जीर्णोद्धार करते हैं, को प्रवेश शुल्क के विरुद्ध देय मनोरंजन कर की राशि पर कर देयता की तिथि से 24 माह तक मनोरंजन कर से विमुक्ति प्राप्त होगी।

6.2 **उन्नयित छविगृह (Upgraded Cinema Hall) :**

उन्नयन किए गए छविगृहों के मालिकों को प्रवेश शुल्क के विरुद्ध देय मनोरंजन कर की राशि पर कर देयता की तिथि से 18 माह तक मनोरंजन कर से विमुक्ति की सुविधा प्राप्त होगी।

6.3 **बन्द छविगृह को पुनः चालू करना :**

बन्द छविगृहों के मालिकों को प्रवेश शुल्क पर देय मनोरंजन कर की राशि पर कर देयता की तिथि से 12 माह तक मनोरंजन कर से विमुक्ति की सुविधा प्राप्त होगी।

6.4 **नव निर्मित दो या दो से अधिक पर्देवाले छविगृह :**

नव निर्मित दो या दो से अधिक पर्देवाले छवि गृहों के मालिकों को प्रथम प्रदर्शन की तिथि से निम्न वर्णित अवधि तक प्रवेश शुल्क के विरुद्ध कर देयता की तिथि से मनोरंजन कर की राशि पर विमुक्ति की सुविधा प्राप्त होगी :–

क्र०सं०	**श्रेणी**	**देय प्रोत्साहन अवधि**
1	नगर निगम	3 वर्ष
2	नगर परिषद्	4 वर्ष
3	नगर पंचायत/अन्य क्षेत्र	5 वर्ष

6.5 **बहुविध छविगृह परिसर (MPCC) :**

नव निर्मित बहुविध छविगृह परिसर के मालिकों को देय मनोरंजन कर की राशि पर प्रथम प्रदर्शन की तिथि से निम्न वर्णित शहरी क्षेत्रों के सामने दर्शायी गयी अवधि तक मनोरंजन कर की राशि पर विमुक्ति की सुविधा प्राप्त होगी :

क्र०सं०	**श्रेणी**	**देय प्रोत्साहन अवधि**
1	नगर निगम	5 वर्ष
2	नगर परिषद्	7 वर्ष
3	नगर पंचायत/अन्य क्षेत्र	10 वर्ष

6.6 दो या दो से अधिक पर्देवाले छविगृह या बहुविध छविगृह परिसर के मालिक द्वारा प्रवेश शुल्क पर देय मनोरंजन कर से विमुक्ति की सुविधा प्राप्त रहने या होने की निर्धारित हकदार अवधि के दौरान उनके द्वारा देय सुविधाओं के लिए दर्शकों से मनोरंजन कर के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा शुल्क नहीं लिया जा जाएगा।

6.7 **न्यूनतम छविगृह संचालन अवधिः**

उपरोक्त सुविधा प्राप्त छवि गृह अथवा बहुविध छविगृह परिसर के मालिकों को इस नीति का लाभ प्रथम चलचित्र प्रदर्शन किये जाने की तिथि से निम्न वर्णित न्यूनतम अवधि तक वर्षों के लिए चलाना अनिवार्य होगा :

6.7.1 नव निर्मित दो या दो से अधिक पर्देवाले छविगृह :

क्र०सं०	**श्रेणी**	**छविगृह चलाने की न्यूनतम अवधि**
1	नगर निगम	5 वर्ष
2	नगर परिषद्	6 वर्ष
3	नगर पंचायत/अन्य क्षेत्र	7 वर्ष

6.7.2 बहुविध छविगृह परिसर (MPCC) –

क्र०सं०	**श्रेणी**	**छविगृह चलाने की न्यूनतम अवधि**
1	नगर निगम	7 वर्ष
2	नगर परिषद्	9 वर्ष
3	नगर पंचायत/अन्य क्षेत्र	12 वर्ष

7. **अनुमोदन की प्रक्रिया :–**

7.1 छविगृह के स्थायी निर्माण हेतु झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 2000 के नियम–3 के अन्तर्गत आवेदन किया जाएगा।

7.2 अनुज्ञप्ति पदाधिकारी, आवेदन प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के अन्दर सिनेमा सलाहकार समिति से विचारोपरान्त उपरोक्त नियमावली के नियम–3 के अन्तर्गत लोक आपत्तियों की सुनवाई के लिए एक माह के लिए लोक सूचना जारी करेगा।

7.3 लोक सूचना जारी होने के एक माह के उपरान्त पन्द्रह दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति पदाधिकारी समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपनी अनुशंसा राज्य सरकार को प्रेषित करेंगे, जिस पर राज्य सरकार एक माह के अन्तर्गत अपना निर्णय संसूचित करेगी।

परन्तु यह कि, राज्य सरकार से उपर्युक्त अवधि में निर्माण के संबंध में अनुज्ञप्ति पदाधिकारी के माध्यम से निर्णय प्राप्त नहीं होने पर आवेदक यह मानते हुए कि राज्य सरकार को इस निर्माण में कोई आपत्ति नहीं है, निर्माण कार्य प्रारंभ कर सकेगा।

परन्तु यह भी कि, इस निर्माण कार्य के प्रारंभ हो जाने मात्र से आवेदक को अनुज्ञप्ति जारी होने का दावा तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि नियमान्तर्गत छविगृह संचालन की अन्य समस्त औपचारिकताएँ पूरी नहीं कर ली जाती है।

7.4 निर्माण कार्य दो वर्ष के अन्तर्गत पूर्ण किया जाना चाहिए। निर्माण कार्य पूरा होने पर आवेदक के द्वारा निर्माण पूर्ण करने के आशय का प्रतिवेदन छविगृह संचालन की अनुज्ञप्ति हेतु समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ सिनेमा अनुज्ञप्ति पदाधिकारी के समक्ष आवेदन जमा करना होगा।

आवेदक से आवेदन प्राप्त होने के उपरानत **झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 2000** के नियम–8 के अन्तर्गत एक माह के भीतर अनुज्ञप्ति जारी की जाएगी बशर्त्ते कि आवेदक द्वारा राज्य सरकार के सभी अनुदेशों एवं निर्माण की समस्त शर्त्तों का अनुपालन कर लिया गया हो।

8. **अनुज्ञप्ति :**

8.1 जीर्णोद्धार/उन्नयन/बन्द सिनेमा गृहों या बहुविध छविगृह परिसरों के संदर्भ में कार्यपालक अभियंता भवन प्रमण्डल के प्रतिवेदन के आधार पर अनुज्ञप्ति पदाधिकारी यह निर्णय ले सकेंगे कि छविगृह मालिक किस वर्ग के अन्तर्गत प्रोत्साहन पाने के हकदार हैं।

8.2 अनुज्ञप्ति पदाधिकारी के उक्त निर्णय के आलोक में छविगृह मालिक संबंधित वाणिज्यकर कार्यालय में विहित प्रपत्र में देय मनोरंजन कर को निर्धारित अवधि तक अनुदान के रूप में अपने पास रखने के लिए आपने आवेदन के रूप में दावा पेश कर सकेंगे।

8.3 स्थायी एवं अस्थायी अनुज्ञप्ति जारी किए जाने हेतु दिशा निर्देश :

8.3.1 अनुज्ञप्ति के नियम को सरलीकृत करते हुए निर्धारित समय सीमा के अन्दर अनुज्ञप्ति निर्गत किया जाना आवश्यक है।

8.3.2 उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिला एवं राज्य स्तर पर सिनेमा अनुज्ञप्ति निर्गत या निरस्त करने के लिए निम्नवत् समय सीमा निर्धारित किया जाता है:–

8.3.2.1 **जिला स्तर पर** – आवेदक से आवेदन प्राप्ति की तिथि से एक माह के अन्दर आवश्यक जांचोपरान्त सभी निर्धारित मापदण्डों को पूर्ण किए जाने की शर्तों के साथ संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को स्पष्ट अनुशंसा की जाएगी।

परन्तु यह कि, अपरिहार्य कारणवश इस अवधि को दो माह तक उपायुक्त द्वारा कारण दर्शाते हुए विस्तारित किया जा सकेगा।

8.3.2.2 **राज्य स्तर पर** – उपायुक्त की अनुशंसा के आलोक में **झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 2000** के नियमों के आलोक में निर्धारित मापदण्डो का पूर्ण किए जाने की स्थिति में अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु स्वीकृति अथवा अस्वीकृति संसूचित कर दी जाएगी।

परन्तु यह कि, अपरिहार्य कारणवश इस अवधि को एक माह तक विभाग द्वारा कारण दर्शाते हुए विस्तारित किया जा सकेगा।

8.3.3 सिनेमा अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक द्वारा यथा विहित प्रपत्र (परिशिष्ट–I) में संबंधित जिला के उपायुक्त को **झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 2000** के अधीन सभी वांछित प्रमाण पत्र के साथ आवेदन समर्पित किया जा सकेगा ताकि निर्धारित समयावधि में सिनेमा/मल्टिप्लेक्स अनुज्ञप्ति जारी की जा सके।

9. **टिकट दर का निर्धारण** :

9.1 छविगृह मालिक टिकट की दर अपने स्वविवेक से प्रति शो (Show) एवं प्रतिदिन के अनुसार तय कर सकेंगे, परन्तु छविगृह मालिक द्वारा स्वविवेक से तय की गयी अधिकतम दरें उनके द्वारा प्रसंगाधीन कलैंडर वर्ष के लिए तय की गयी न्यूनतम दर से पाँच गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9.2 उपर्युक्त क्रम में प्रत्येक छविगृह मालिक के द्वारा प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर तक आगामी कलैंडर वर्ष हेतु उनके द्वारा तय की गयी न्यूनतम एवं अधिकतम दरों की लिखित सूचना जिला उपायुक्त तथा उस क्षेत्र के वाणिज्यकर पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से देनी होगी।

9.3 किसी छविगृह में किसी विशिष्ट उच्च श्रेणी के रहने की स्थिति में उक्त श्रेणी के टिकट की दरों के लिए अलग से न्यूनतम एवं अधिकतम दरों की सूचना प्रत्येक वर्ष के 31 दिसम्बर तक आगामी कलैंडर वर्ष हेतु लिखित सूचना जिला उपायुक्त तथा उस क्षेत्र के वाणिज्यकर पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से देनी होगी। प्रसंगाधीन कलैंडर वर्ष के लिए तय की गयी न्यूनतम दर से तीन गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

9.4 तय की गयी दरों की लिखित सूचना छविगृह मालिक द्वारा कम से कम एक दिन पूर्व जिला उपायुक्त तथा उस क्षेत्र के वाणिज्य कर पदाधिकारी को देनी होगी।

10. **छविगृहों का नवीकरण :**

10.1 छविगृहों की अनुज्ञप्ति का नवीकरण 3 वर्षो के अन्तराल पर किया जाएगा।

परन्तु यह कि, प्रत्येक कलैंडर वर्ष के प्रथम माह (जनवरी) के द्वितीय सप्ताह तक छविगृह मालिक द्वारा अनुज्ञप्ति पदाधिकारी के कार्यालय में निम्न संशोधित दर से झारखण्ड सिनेमा (विनियमन) नियमावली, 2000 के नियम–12 के अधीन अनुज्ञा शुल्क राशि के साथ वांछित निरीक्षण मानदण्डों के संबंध में स्वयं संतुष्ट होकर इस आशय का स्व–सत्यापन (Self certification) प्रस्तुत किया जाएगा कि वह अनुज्ञप्ति की सभी शर्तों का अनुपालन कर रहा है एवं वह अगले वर्ष अनुज्ञप्ति की शर्त्तों के अधीन सिनेमा संचालन जारी रखेगा।

परन्तु यह कि, इस क्रम में अग्निशमन, भवन सुरक्षा एवं विद्युत संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित प्राधिकार से ससमय प्राप्त कर लिया जाए, जो ऐसे प्राधिकार के द्वारा इस आशय का आवेदन जमा किए जाने की तिथि के 30 दिनों की अवधि के भीतर विधिवत् निर्गत किया जाएगा अथवा अस्वीकृति संसूचित की जाएगी।

10.2 उक्त आशय का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं होने पर अनुज्ञप्ति पदाधिकारी छविगृह की अनुज्ञप्ति निलम्बित कर सकते हैं अथवा छविगृह के आवेदन पर नवीकरण के लिए निर्दिष्ट फीस के समतुल्य जुर्माना लेकर छविगृह संचालन जारी रखने की अनुमति दे सकते है।

10.3 नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा समय–समय पर लागू सुसंगत अधिनियम एवं नियमावली के सुसंगत नियमों के आधार पर अनुज्ञप्ति शुल्क एवं नवीकरण शुल्क की अधिसूचना जारी की जाएगी।

11. **अन्यान्य :**

11.1 छविगृह/बहुविध छविगृह परिसर के मालिक का यह दायित्व होगा कि छविगृह/ बहुविध छविगृह परिसर चालू होने के 10 वर्षों तक प्रतिदिन के संग्रह रजिस्टर एवं फार्म बी/ए को संधारित करेंगे।

10 वर्षों के बाद संबंधित वाणिज्यकर पदाधिकारी के समक्ष इस आशय की सन्तुष्टि हो जाने के बाद कि किसी तरह का मनोरंजन कर एवं सरचार्ज/अन्य देयता राज्य सरकार को देने के लिए बाकी नहीं है, फार्म बी/ए एवं प्रतिदिन संग्रह रजिस्टर को रद्द किया जा सकेगा।

11.2 छविगृह/ बहुविध छविगृह परिसर में देय सुविधाएं यदि असंतोषप्रद पायी जाती हैं तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित नियमों की अवहेलना या अनुपालन नहीं किये जाने की स्थिति में अथवा देय सुविधा नहीं देने की स्थिति में अथवा 10 वर्ष तक लगातार छविगृह/बहुविध छविगृह परिसर नहीं चलाने की स्थिति में उपरोक्त मनोरंजन कर के रूप में दी गई समस्त अनुदान राशि (सूद के साथ) लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में विधिवत् वसूल की जा सकेगी।

11.3 इस नीति से संबंधित समस्त विभाग एवं संस्थानों के द्वारा इस नीति को कार्यान्वित करने हेतु तत्संबंधी अधिसूचना निर्गत किए जाने के 30 दिनों की अवधि के भीतर आवश्यक अधिसूचनाएँ निर्गत की जाएगी।

12. **नगर विकास एवं आवास विभाग की शक्ति :**

12.1 नगर विकास एवं आवास विभाग को इस नीति के विभिन्न प्रावधानों में आवश्यकतानुसार संशोधन अथवा परिवर्तन अथवा किसी प्रावधान को जोड़े जाने की शक्ति होगी, जिसके लिए विधिसम्मत रूप से अधिसूचना निर्गत की जाएगी।

12.2 इस नीति को कार्यान्वित करने अथवा विवाद होने की स्थिति में अथवा नीति के विभिन्न प्रावधानों की व्याख्या करने के क्रम में उत्पन्न समस्या के निराकरण हेतु मुख्य सचिव, झारखण्ड के माध्यम से मुख्य मंत्री, झारखण्ड के समक्ष मामला प्रस्तुत किया जाएगा, जिसपर लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

परिशिष्ट– I

Application for Cinema/ Multiplex Licence

Affix court Fee Stamp of Rs. 100/-

1.	Full Name of Applicant	
2.	Aadhaar No.	
3.	PAN No.	
4.	Residential Address	
5.	Telephone No.	
6.	Name of Establishment (Cinema Hall/Multiplex)	
7.	Address of Establishment (Cinema Hall/Multiplex)	
8.	Telephone No. of Establishment	
9.	No of seats in Establishment	
10.	Floor wise details of the Cinema Building	
11.	Document enclosed	
11. a	Occupation Certificate	
11. b	Building plan Approval Certificate	
11. c	Testimonial on proposed Cinema hall/ Multiples from surrounding area	
11. d	Location/Construction of the Theatre	
11. e	NOC From Department of Energy	
11. f	NOC From Department of Fire	
11. g	NOC From Department of Building Construction	
11. h	NOC From Department of Commercial Taxes	
11. i	Structural Stability Certificate issued by Architect	
11. j	Certificate regarding Lightning conductor	
11. k	Certificate regarding Water Harvesting	
11. l	Name, Age and Address of the Manager, Projector Machine Operator & Electrician	

(Signature of Applicant)